न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 80/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक , औद्योगिक क्षेत्र शाखा भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम मै0 पंचाली ब्रिक्स प्रो0 श्री रामेश्वरलाल पिता गिरधारी लाल खटीक निवासी मोड़ का निम्बाहेड़ा त0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा

——अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः— वकील प्रार्थी— उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 22/05/2018

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक यूको बैंक, औद्योगिक क्षेत्र शाखा, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी इकाई व इसके प्रो0श्री रामेश्वरलाल खटीक को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द में स्थित रहवासी सम्पत्ति पट्टा संख्या 3 दिनांक 20.09.2011 से जारी प्लॉट कुल क्षेत्रफल 527.97 वर्गफीट जिसका पंजीयन विलेख दिनांक 11.04.2012 है तथा ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 1070 में से 0.83 हैक्टर व आ0नं0 1071 में से 0.22 हैक्टर कुल 10500 वर्गमीटर भूमि उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के आदेश क्रमांक ग्रा.क्षै.भू.रू./प्र0सं0 03/2013/793 दिनांक 22.04.2013 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ(ईंट भट्टा हेतु) संपरिवर्तित भूमि श्री मदन पिता देवा खटीक नि0 मोड़ का निम्बाहेड़ा की जिसे पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.04.2012 से क्रय कर रहन रखा गया। उक्त सम्पत्तियां श्रीरामेश्वर पिता गिरधारी खटीक निवासी मोड़ का निम्बाहेड़ा त0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा के स्वामित्व का है जिसे रहन रखा गया । अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोंटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा